न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA140 Jagdishsingh Vs State

जगदीशसिंह पुत्र मानसिंह राजपुरोहित
निवासी बडली, तहसील जोधपुर
जिला जोधपुर

----- **अपीलाण्ट**

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. खनि अभियन्ता, खान एंवं भू-विज्ञान विभाग
   सर्किट हाउस रोड, जोधपुर

----- **रेस्पो.**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 13 अगस्त 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 19/2014 राजस्थान सरकार बनाम मानसिंह

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

नि र्ण य

दिनांक : 13 दिस., 2019

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 19/2014 राजस्थान सरकार वनाम मानसिंह में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 10 अक्तूबर 2019 को पेश की है।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश जाहिर किया कि खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक दल बनाया जाकर विशेष अभियान के तहत किये गये निरीक्षण के दौरान उक्त अप्राथी की खातेदारी के मौजा बडली के खसरा संख्या 72/2 की 18 बीघा 10 कृषि भूमि पर अवैध खनन कराये जाना पाये जाने पर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी। अप्राथी द्वारा उक्त अवैध खनन से उपजाऊ कृषि भूमि को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और आस-पडौस के काश्तकारों के जीवन को खतरा उत्पन्न किया जा रहा है। उसके इस कृत्य के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने का प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उक्त अप्राथी-अपीलाण्ट के वादग्रस्त आराजियात बाबत खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 को स्वीकार कर लिया गया ,जिसके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि-

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बिलकुल निराधार, गलत, सुस्पष्ट विधि के विपरीत,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मनमाना एवं रेकर्ड पर आयी साक्ष्य के विपरीत होने से काबिले खारिज है।

2. अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से खारिज किये जाने योग्य है।
3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व प्रकरण की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 की उपधारा 4 के अनुरूप सम्पादित नहीं की गयी है।
4. प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा अपने पक्ष में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। पटवारी हळका की जिस रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट के खिलाफ समस्त कार्यवाही कर प्रार्थी के खिलाफ बेदखली के आदेश जारी किये गये, स्वयं उस पटवारी के बयान अधीनस्थ न्यायालय में कलमबद्ध नहीं कराये गये है।
5. धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की कार्यवाही के तहत नियमानुसार तामील होने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है और तामील होने के बाद यदि जबाब पेश होता है तो उस स्थिति में एक नियमित वाद के समान कार्यवाही की जाना होता है, अन्यथा तहसीलदार एवं खनन विभाग को साक्ष्य सबूत पेश कर केस को साबित करना होता है।
6. धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही के लिए मियाद की सीमा तीन साल की है, इसलिए यह देखा जाना आवश्यक है कि कब कार्यवाही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की गयी और न्यायालय में धारा 177 के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियांद है अथवा नहीं।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान ही अप्रार्थी मानसिंह का देहान्त हो चुका था, और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके कायममुकामान की कार्यवाही किये बिना ही अपीलाधीन आदेश एक मृत पक्षकार के खिलाफ पारित कर दिया, जो प्रारम्भ से ही शून्य-प्रभावी है।

अंत में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा अपील खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए अवैध खनन किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत असंवैधानिक कृत्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि अपील स्तर पर प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार अप्रार्थी मानसिंह राजपुरोहित पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हरिसिंह का देहान्त दिनांक 21 जनवरी 2019 को हो गया था। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 एक मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित किया गया है जो प्रारम्भ से ही नलिटी है जैसा कि 2017(2)आरआरटी 1047 में प्रतिपादित किया गया है। इसके अलावा वादग्रस्त आराजी के मौके पर किसी प्रकार का अवैध खनन किया जाना मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर निश्चयपूर्वक बिना किसी संदेह के कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या तीन में वर्णित किया गया है कि अप्रार्थी खनि-विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक दल बनाया जाकर विशेष अभियान के तहत तहसील क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। प्रार्थनापत्र के बिन्दु 4 में उक्त दल द्वारा वक्त निरीक्षण वादग्रस्त आराजी में अवैध खनन किया/करवाया जाना पाया जाने पर दल द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाना अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई रिपोर्ट या उसकी प्रति उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसी किसी कार्यवाही की दिनांक, ऐसे किसी दल के मुखिया आदि के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध है। यहाँ तक कि जो मौका रिपोर्ट दिनांक 11 मार्च 2003 खसरा संख्या 06 एवं 14 बाबत पटवारा हळका द्वारा तैयार की गयी, उसमें भी किसी प्रकार का खनन नहीं होना वर्णित किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि खसरा संख्या 72/2 की तरमीम नक्शें में नहीं है। खसरा संख्या 72 एक ही है तथा खसरे की अवस्थिति स्पष्ट नहीं है।

खनन कितने क्षेत्र में किया गया, इस संबंध में मात्र 40x33x3 अंकित है, कोई ईकाई अंकित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ऐसी स्थिति में, जबकि किसी प्रकार का कोई खनन कार्य होने संबंधित रिपोर्ट ही उपलब्ध नहीं है, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश सर्वथा आधारहीन होने के कारण कायम रखे जाने योग्य ही नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 आधारहीन एवं विधिसम्मतः नहीं होंने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

12/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर